न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 131/2017

1 श्रीमति पतासी देवी आयु 75 साल पत्नी
2 होशियार सिंह आयु 55 साल पुत्र
3 रामस्वरूप आयु 51 साल पुत्र स्व. झाबरमल जाति जाट निवसी हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनू।
4 श्रीमती सुप्यार आयु 53 साल पुत्री स्व. झाबरराम पत्नी स्व. मोहनलाल जाति जाट निवासी ढेवा का बास तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
5 श्रीमती कमला आयु 35 साल पत्नी प्रमोद
6 श्रीमती सम्पत देवी आयु 33 साल पत्नी रणजीत पुत्रीगण स्व. झाबरराम जाति जाट निवासी खींवासर उप तहसील गुढ़ा गौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू।

अपीलांट

बनाम

1 हेतराम आयु 66 साल पुत्र स्व. मालाराम
2 रोहताश आयु 28 साल पुत्र स्व. नेमीचन्द जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
3 श्रीमती अनिता आयु 30 साल पुत्र स्व. नेमीचन्द पत्नी नेमीचन्द जाति जाट निवासी ढाणी पुरोहितान उर्फ पुरोहितों की ढाणी तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।
4 श्रीमती वेदकोर आयु 63 साल पुत्री स्व. मालाराम पत्नी रामकरण जाति जाट निवासी अजाड़ी खुर्द तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

5 श्रीमती जयकोरी आयु 58 साल पुत्री स्व. मालाराम पत्नी स्व. लालचन्द जाति जाट निवासी बिजाणिया की ढाणी तन हुक्मपुरा उप तहसील गुढ़ागौड़जी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

6 संजय आयु 28 साल

7 नरेश आयु 26 साल पुत्रगण स्व श्रीमती बरजी व पितराम जाति जाट निवासी मालसर तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

8 जयनारायण आयु 49 साल पुत्र स्व. झाबरमल जाति जाट निवासी हमीरवास बजावा तहसील व जिला झुन्झुनू राज.।

9 तहसीलदार तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेन्ट

प्रथम अपील अ.धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी दावा उनवानी हेतराम बनाम झाबर आदि दावा घोषणा व दुरूस्ती रिकार्ड दावा संख्या 128/2013

उपस्थिति :

1. श्री जगदीशचन्द्र, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री राजेन्द्र बुडानियां, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांकः— 10.10.24

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनू)

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 128/2013 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2013 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 के पिता झाबरराम व रेस्पोडेन्ट नम्बर 2 व 3 के पिता नेमीचन्द व रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 व 4 व 5 की माता श्रीमती भगवानी व रेस्पोडेन्ट नम्बर 9 को पक्षकार बनाकर विचारण न्यायालय में उक्त उनवानी दावा पेश किया। इस दावे में विचारण न्यायालय ने दिनांक 17.05.2013 को अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 के पिता झाबरराम के खिलाफ व प्रतिवादीगण नम्बर 2 व 3 के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर जमीन खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम बजावा का खातेदार काश्तकार न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी ने निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06. 2013 से रेस्पोडेन्ट संख्या 1/वादी को घोषित किया। इस एक तरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2013 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी को अपास्त करवाने के लिए अपीलान्टस की ओर से यह अपील धारा 5 के आवेदन साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि ग्राम बजावा तहसील उदयपुरवाटी के तहत का राजस्व ग्राम है व ग्राम हमीरवास बजावा तहसील झुन्झुनू के तहत का राजस्व ग्राम है। कालुराम व उसके लड़के मालाराम, झाबरराम, नौरंगराम ग्राम हमीरवास बजावा के मुल निवासी रहे हैं व अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 8 भी ग्राम हमीरवास बजावा के मुल निवासी रहे है। पक्षकारान में या इनके पूर्वजो में कोई भी ग्राम बजावा का निवासी नहीं रहा। ग्राम बजावा में दावे के अनुसार अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 के पिता झाबरराम की जमीन खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर खातेदारी व कब्जे की भी जो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 के खातेदारी व कब्जे की है व ग्राम हमीरवास बजावा की सरहद में दावे की धारा 2(ग) में वर्णित जमीन कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर झाबरराम की थी जो अब अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 की है। विवादित जमीन खसरा नम्बर 216

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

वाके ग्राम बजावा से ग्राम हमीरवास बजावा की सरहद करीब 300 कदम की दुरी पर है। इस प्रकार ग्राम हमीरवास बजावा के विवादित जमीन नजदीक है। विवादित जमीन से ग्राम बजावा की आबादी भूमि करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। ग्राम बजावा की आबादी भूमि में पक्षकारान या इनके पूर्वजों के रिहायशी मकान कभी भी नहीं रहे। जमीन खसरा नम्बर 378 व खसरा नम्बर 380 वाके ग्राम हमीरवास बजावा अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 की होना विवादित नहीं है। इस जमीन कि किस्म राजस्व रिकार्ड में आबादी दर्ज है। इस प्रकार अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 का पिता झाबरराम इस जमीन में रिहायशी मकानात बनाकर आबाद था व पहले ग्राम हमीरवास बजावा की आबादी भूमि में आबाद था। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने अपनी माता प्रतिवादी नम्बर 3 व अपने भाई प्रतिवादी नम्बर 2 से साजिश कर अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 के पिता झाबरराम को गलत रूप से ग्राम बजावा का निवासी होना दर्ज कर साजसी गलत दावा किया व बिना वैद्य आधार के व बिना विवेचन के निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2013 को पारित करवा ली जो खारिज होने योग्य है। अपीलांट नम्बर 2 से 6 के पिता स्व. झाबरराम प्रतिवादी नम्बर 1 की दावे के सम्मन तामिल नहीं हुई और विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करने में भुल की है। बिना किसी साक्ष्य के विचारण न्यायालय ने भूमि खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर वाके ग्राम बजावा का खातेदार काश्तकार घोषित करने में भूल की है। रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 हेतराम ने दावा संख्या 94/2012 जमीन खसरा नम्बर 215 के बाबत किया। इस दावे में रेस्पोडेन्ट नम्बर 1/वादी ने जमीन खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर प्रतिवादी नम्बर 2 झाबर को बंटवारे में मिलने का कथन किया। इस स्वीकारोक्ति से रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 बदल नहीं सकता व जमीन हड़पने की नियत से गलत दावा किया। दावे के समर्थन में विधिवत शपथ पत्र भी पेश नहीं किया गया। तथाकथित शपथ पत्र में तथ्यों का उल्लेख नहीं है व दावे के समर्थन में कोई साक्ष्य भी पेश नहीं किया। विधिवत बंटवारा भी पेश नहीं हुआ। इस कारण दावे में वाद कारण ही दर्ज नहीं है। वादीगण नम्बर 2 से 6 का पिता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनू)

झाबरराम सन 2013 में अत्यधिक मिर्गी के दौरों से परेशान था व चलने फिरने की हालत में नही था व काफी समय से उक्त बिमारी से ग्रसित था व झुन्झुनू के डॉ. जगदेव सिंह से ईलाज लेता था। झाबरराम पर दावे के सम्मनों की तामिल नहीं हुई। इस कारण झाबरराम को दावे व निर्णय व डिक्री का पता नहीं था व अपने जीवनकाल में पता भी नहीं चला। झाबरराम के वारिसान अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 को भी पहले निर्णय व डिक्री दिनांक 05.06.2013 की जानकारी नहीं थी। जानकारी से अंदर मियाद अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं है। अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2023(2) राज पेज 2613, डीएनजे 2015 एससी पेज 592, आरबीजे 2018 पेज 42 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट की सम्यक तामील हुई है। भूमि जमाबंदी सम्वत 2022 से 2025 के अनुसार कालुराम के नाम से है परन्तु यह भूमि कालुराम की स्वअर्जित सम्पत्ति है, यह किसी भी रूप में साबित नहीं है, इससे वादी के इस कथन को बल मिलता है कि उक्त भूमि कालुराम को उसके पिता से प्राप्त हुई है तथा इसी आधार पर गलत रूप से राजस्व अभिलेख प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम बन गया, जिस बाबत जवाबदेही प्रस्तुत करके कोई ऐतराज या आपत्ति प्रतिवादी नम्बर 1 ने पेश नहीं की है, जिसके आधार पर स्पष्ट है कि उक्त भूमि कालुराम की पैत्रिक सम्पदा है इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में वर्णित भूमि में खसरा नम्बर 216 वादी के हिस्से विभाजन की भूमि है लेकिन गलत रूप से प्रतिवादी नम्बर 1 के नाम अंकित हो गई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय पारित करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अपील मियाद बाहर है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है ग्राम बजावा तहसील उदयपुरवाटी के तहत का राजस्व ग्राम है व ग्राम हमीरवास बजावा तहसील झुन्झुनू के तहत का राजस्व ग्राम है। कालुराम व उसके लड़के मालाराम, झाबरराम, नौरंगराम ग्राम हमीरवास बजावा के मुल निवासी रहे हैं व अपीलान्टस व रेस्पोडेन्टस नम्बर 1 से 8 भी ग्राम हमीरवास बजावा के मुल निवासी रहे है। ग्राम बजावा में दावे के अनुसार अपीलान्टस नम्बर 2 से 6 के पिता झाबरराम की जमीन खसरा नम्बर 216 रकबा 0.23 हैक्टेयर खातेदारी व कब्जे की भी जो अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 के खातेदारी व कब्जे की है व ग्राम हमीरवास बजावा की सरहद में दावे की धारा 2(ग) में वर्णित जमीन कुल रकबा 3.28 हैक्टेयर झाबरराम की थी जो अब अपीलान्टस व रेस्पोडेन्ट नम्बर 8 की है। विवादित जमीन खसरा नम्बर 216 वाके ग्राम बजावा से ग्राम हमीरवास बजावा की सरहद करीब 300 कदम की दुरी पर है। इस प्रकार ग्राम हमीरवास बजावा के विवादित जमीन नजदीक है। विवादित जमीन से ग्राम बजावा की आबादी भूमि करीब 2.5 किलोमीटर दूर है। विचारण न्यायालय में अपीलांट नम्बर 2 से 6 के पिता स्व. झाबरराम प्रतिवादी नम्बर 1 की दावे के सम्मन की सम्यक तामिल नहीं हुई है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करने में विधिक त्रुटि की है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

कि अपीलांट का जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.10.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10.10.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर